उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 134 / 2023–24 दिनांक : 04.09.2023

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ध्रुव ओझा पुत्र श्री कार्तिक ओझा, परिवादी
ग्राम संजयनगर मेहतोष मोड़, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री ध्रुव ओझा पुत्र श्री कार्तिक ओझा का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.08.2023 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी विभाग में 05 किलोवाट भार हेतु एक नये विद्युत संयोजन का आवेदन किया गया था। आवेदन किए हुए 02 माह से अधिक हो गये है, परन्तु विभाग द्वारा मीटर नहीं लगाया जा रहा है। एक बार विभाग की ओर से लाईनमैन कनेक्शन लगाने केवल मीटर ही लेकर आये और केबिल की मांग हमसे करने लगे जिस पर प्रार्थी द्वारा केबिल देने से मना कर दिया और कहा कि उन्होंने मीटर व केबिल का पूर्ण भुगतान विभाग में कर दिया है। इस बात पर लाईमैन बिना मीटर लगाये ही चले गये। इस सम्बन्ध में विभाग में कई बार शिकायत की गई, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नये विद्युत संयोजन को जल्द से जल्द लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 16.08.2023 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 19.08.2023 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 21.08.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 21.08.2023 व 04.09.2023 को परिवादी अनुपस्थित रहा जबकि विपक्षी की ओर से श्री संजय चौहान, सहायक अभियन्ता व नसीम अहमद,

क्रमशः 2.....

कार्यालय सहायक—2 के तर्क सुने गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—1557 दिनांक 21.08.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर विद्युत मापक लगा दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी ने ई—मेल व फोन द्वारा की है। इस क्रम में सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग के सहायक अभियन्ता (राजस्व) ने भी परिवादी के परिसर पर दिनांक 16.08.2023 को मीटर स्थापित किए जाने की पुष्टि की है।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि यद्यपि परिवादी ने नये विद्युत संयोजन हेतु निर्धारित औपचारिकताऐं पूर्ण कर वांछित धनराशि दिनांक 15.07.2023 को जमा कर दी थी, परन्तु विपक्षी विभाग ने संयोजन अवमुक्त करने में विलम्ब किया तथा परिवादी के परिसर पर मापक दिनांक 16.08.2023 को स्थापित किया तदनुसार परिवादी से मीटर लगाने की वास्तविक तिथि से ही विद्युत बिल लिया जाना न्यायोचित होगा। विपक्षी विभाग तदनुसार ही परिवादी का विद्युत बिल जारी करें।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परिवादी को उसके परिसर पर मीटर लगाये जाने की वास्तविक तिथि दिनांक 16.08.2023 से ही विद्युत बिल जारी करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

	4/9/2023	4/09/2023
(रमेश चन्द्र कुकरेती) न्यायिक सदस्य	(नवीन चन्द्र तिवारी) तकनीकी सदस्य	(सुभाष चन्द्र भट्ट) उपभोक्ता सदस्य